

(Authoritative English Text of this Department Notification No TPT-A (4)-9/2015 dated 06-03-2019 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India.

Government of Himachal Pradesh
Department of Transport.

No. TPT-A (4)-9/2015

Dated: Shimla-2 the

06-03-2019

NOTIFICAION

In continuation to this department notification number TPT-A (2)-2/2003-Part-II dated 15-03-2012, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 3 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), is pleased to order that there shall be levied, charged and paid to the State Government, an annual tax on Motor Vehicles used or kept for use in Himachal Pradesh described in column No. (2) against Sr. No. 10 and 11 of the SCHEDULE-1 of the Act ibid at the rate specified in column No. (3), namely:-

10.	Rent a Cab	Rate of Tax
	(i) Having capacity up to 1000 CC	Rs.2000/-Per annual
	(ii) Having capacity more than 1000 CC upto 2000 CC	Rs.3000/- Per annual
	(iii) Having capacity more than 2000 CC	Rs.6000/- Per annual
11.	Rent a Bike	
	(i) Having capacity upto 150 CC	Rs .1000/- Per annual
	(ii) Having capacity more than 150 upto 500 CC	Rs.2000/- Per annual
	(iii) Having capacity more than 500 CC	Rs.3000/- Per annual

By Order,

(Jagdish Chander Sharma)
Principal Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग

संख्या: टी.पी.टी.-ए(4)-9/2015

तारीख शिमला-2

06.03.2019

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: टी.पी.टी.-ए (2)-2/2003-पार्ट-11, तारीख 15-3-2012 के अनुक्रम में, हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उपयोग में लाए गए या उपयोग के लिए रखे गए पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-1 की क्रम संख्या 10 और 11 के सामने स्तम्भ संख्या: (2) में वर्णित मोटर यानों पर स्तम्भ संख्या: (3) में विनिर्दिष्ट दर पर राज्य सरकार द्वारा वार्षिक कर उद्गृहीत, प्रभारित किया जाएगा और उसे राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा, अर्थात्:-

10	टैक्सी किराए पर देना (रेंट ए कैब)	कर की दर
	(i) 1000 सीसी की क्षमता तक	2000/-रूपए प्रतिवर्ष
	(ii) 1000 सीसी से 2000 सीसी तक की क्षमता तक	3000/-रूपए प्रतिवर्ष
	(iii) 2000 सीसी से अधिक की क्षमता तक	6000/-रूपए प्रतिवर्ष
11	बाइक किराए पर देना (रेंट ए बाइक)	
	(i) 150 सीसी की क्षमता तक	1000/-रूपए प्रतिवर्ष
	(ii) 150 सीसी से अधिक लेकिन 500 सीसी की क्षमता तक	2000/-रूपए प्रतिवर्ष
	(iii) 500 सीसी की क्षमता से अधिक	3000/-रूपए प्रतिवर्ष

आदेश द्वारा,

(जगदीश चन्द्र शर्मा)
प्रधान सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।